रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1970/ज्येष्ठ 2, 1892
No. 191] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1970/JYAISTHA 2, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May 1970

S.O. 1882.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby appoints, on and from the 23rd May, 1970, Shri S. P. Kampani, Member, Central Board of Excise and Customs and *ex-officio* Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) as Administrator in addition to his own duties, *vice* Shri Jasjit Singh.

[No. F.1/33/70-GCII.]

P. GOVINDAN NAIR, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 1970

का० आ० 1882.—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 23 मई, 1970 को और से

श्री एस० पी० कम्पानी, सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड तथा पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग), को स्वयं अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त श्री जसजीत सिंह के स्थान पर, प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 1/33/70-जी सी II.]

पी० गोविन्दन नायर, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970